डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
मोहान रोड, लखनऊ: 226 017 वेबसाइट: http://dsmru.up.nic.in

पत्रांक 98 /पत्रा.सं–सीओई–31द्वितीय/DSMNRU/परीक्षा–समिति/13वीं बैठक/2022–23 दिनांक 18.04.2023

प्रेषक

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में

1 समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
2 प्रोफेसर एच0 एस0 झा, समाज शास्त्र एवं सा0वि0 विभाग, विश्वविद्यालय।
3 डा0 संजीव गुप्ता, सह आचार्य, वाणिज्य विभाग, विश्वविद्यालय।
4 श्री आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, दृष्टिबाधितार्थ विभाग, विश्वविद्यालय।
5 परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
6 प्राचार्य, टी0एस0मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।
7 प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।
8 प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।

विषयः–डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ परीक्षा समिति की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या सीओई–06 दिनांक 06.04.2023 के कम में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की आयोजित 13वीं बैठक दिनांक 12.04.2023 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–वैयक्तिक सहायक, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
परीक्षा समिति की 13वीं बैठक दिनाँकः 12.04.2023 का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न 03:00 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 13वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय/अनुमोदन प्रदान किया गया :–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/13	**परीक्षा समिति की 12वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा 12वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/13	**परीक्षा समिति की 12वीं बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति की 12वीं बैठक में बिन्दुवार लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति अवगत हुई।
3/13	**सम अधिसत्र परीक्षा के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित विभिन्न परास्नातक/स्नातक/डिप्लोमा स्तरीय समस्त पाठ्यक्रमों की माह मई, 2023 के अन्तर्गत सम अधिसत्र परीक्षाओं को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा निम्नानुसार आयोजित कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है– 1). सम अधिसत्र की निहित आंतरिक परीक्षाओं (असाइनमेण्ट/प्रजेण्टेशन/मिड सेमेस्टर टेस्ट आदि) को दिनाँक 01 मई, 2023 से दिनाँक 10 मई, 2023 के मध्य सम्पन्न कराया जाना। 2). परास्नातक/स्नातक/डिप्लोमा स्तरीय समस्त पाठ्यक्रमों की अन्तिम अधिसत्रों की परीक्षायें दिनाँक 30 जून, 2023 तक सम्पन्न कराया जाना। 3). परास्नातक/स्नातक/डिप्लोमा स्तरीय समस्त पाठ्यक्रमों की उपरोक्तानुसार शेष समस्त सम अधिसत्रों की परीक्षाएं दिनाँक 01 जुलाई, 2023 से दिनाँक 31 जुलाई, 2023 तक सम्पन्न कराया जाना। उक्त के अतिरिक्त स्ववित्तपोषित अभियान्त्रिकी परास्नातक/स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए विभागीय/संस्थान के स्तर पर सम्पन्न कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/13	**बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग हेतु प्रचिलित व्यवस्थान्तर्गत दिव्यांग विद्यार्थी को दो अवसर तथा गैर दिव्यांग विद्यार्थी को एक अवसर प्रदान किये जाने सम्बन्धी बाध्यता को समाप्त किये जाने के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर आयोजित अधिसत्र परीक्षा के उपरांत आयोजित होने वाले बैक पेपर परीक्षा में पाठ्यक्रम अवधि (परीक्षा विनियमन, 2020 के बिन्दु संख्या–5.7 में वर्णित प्रतिबन्ध कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि (N+2) वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अवधि के संबंध में मानक नियामक संस्था/अधिकरण की संस्तुति (RCI/BCI/MCI/AICTE आदि) के अनुसार समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश के अधीन होंगे) पूर्ण होने तक दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग विद्यार्थियों को बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/13	**चुनौती मूल्यांकन के सबंध में।** **निर्णयः**– विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 12वीं बैठक दिनाँक 21.10.2022 के बिन्दु संख्या–13/12 में सम्यक् विचार–विमर्शोपरान्त अधिसत्र/सत्रान्त, बैक एवं स्पेशल बैक पेपर परीक्षान्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन (बैक/स्पेशल बैक पेपर परीक्षा अथवा पूर्व की अधिसत्र/सत्रान्त, परीक्षा में संबंधित प्रश्न–पत्र में प्राप्त अंकों में से जो भी अधिक हो) का संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रश्न–पत्र (पूर्व एवं वर्तमान के प्राप्तांकों का रक्षित अभिलेखानुसार उल्लेख करते हुए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सर्वाधिक अंक को स्वीकार्य कर) में अंक प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(डॉ0 अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	परन्तु उपरोक्त व्यवस्था से चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था को पृथक रखते हुए विद्यार्थियों द्वारा चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन किये जाने पर प्रथम चरण की प्रक्रिया के उपरांत द्वितीय चरण की प्रक्रियान्तर्गत प्राप्त होने वाले अंकों को ही चुनौती मूल्यांकन में उल्लिखित दिशा–निर्देशों (परीक्षा विनियमन, 2020 के बिन्दु संख्या–7 के अन्तर्गत 'चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के सम्बन्ध में'–यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।) के अनुसार अन्तिम अंक मानते हुए प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/13	**परीक्षा विनियमन, 2020 में वर्णित व्यवस्था में शिथिलता प्रदान करते हुए सम अधिसत्र की परीक्षा से पूर्व विषम अधिसत्र की बैक पेपर परीक्षा आयोजित कराये जाने के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा विनियमन, 2020 के बिन्दु संख्या–5.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए आगामी सम अधिसत्र की परीक्षा से पूर्व विषम अधिसत्रों की बैक पेपर परीक्षा आयोजित कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/13	**फाइनल बैक पेपर परीक्षा के अन्तर्गत विषम अधिसत्रों की फाइनल बैक पेपर परीक्षा अन्तिम/सम अधिसत्र की परीक्षा से पूर्व तथा सम अधिसत्र की फाइनल बैक पेपर परीक्षा अन्तिम/सम अधिसत्र की परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत ही आयोजित कराये जाने के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी सम्बन्धित नियामक संस्थाओं में पंजीकरण कराये जाने आदि की कार्यवाही सम्पादित करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापक विद्यार्थी हित के दृष्टिगत विषम अधिसत्रों की फाइनल बैक पेपर परीक्षा अन्तिम/सम अधिसत्र की परीक्षा से पूर्व तथा सम अधिसत्रों की फाइनल बैक पेपर परीक्षा, अन्तिम/सम अधिसत्र की सामान्य परीक्षा के उपरांत आयोजित कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/13	**विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों से प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क एवं बैक पेपर परीक्षा शुल्क (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर) तथा परीक्षा सम्बन्धित अन्य शुल्क आदि को विश्वविद्यालय के शुल्क से सम्बन्धित खाते में जमा कराये जाने के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं से प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क एवं बैक पेपर परीक्षा शुल्क (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर) तथा परीक्षा सम्बन्धित अन्य शुल्क आदि को विश्वविद्यालय के शुल्क से सम्बन्धित खाते में (शुल्क खाता संख्या–36510100000003) जिससे पेमेण्ट गेट–वे के माध्यम से शुल्क अंतरित करने में सुगमता के लिये निम्न विवरण के अनुसार जमा कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय से इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुए आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान प्रदान किया गया :– 1. परीक्षा शुल्क, 2. बैक पेपर परीक्षा शुल्क/फाइनल बैक पेपर परीक्षा/स्पेशल बैक पेपर परीक्षा शुल्क, 3. दीक्षांत समारोह हेतु विद्यार्थियों से जमा कराये जाने वाला पंजीकरण शुल्क, 4. स्क्रूटनी शुल्क, 5. चुनौती मूल्यांकन शुल्क, 6. अंक–पत्र/उपाधि संशोधन शुल्क एवं डुप्लीकेट अंक–पत्र/उपाधि शुल्क, 7. ट्रांसक्रिप्ट शुल्क। 8. परीक्षा से सम्बन्धित अन्य शुल्क।
9/13	**परीक्षा विनियमन के बिन्दु संख्या 5.2 में उल्लिखित ईयर बैक की व्यवस्था के संबंध में।** **निर्णयः**–परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 12वीं बैठक दिनाँक 21.10.2022 के के बिन्दु संख्या–10/12 में विनियमन के बिन्दु संख्या 5.2 में उल्लिखित ईयर बैक की व्यवस्था के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए निम्नलिखित निर्णय प्रदान किए गये थे :– 1. विद्यार्थी विषम अधिसत्र के सभी प्रश्न–पत्रों में उत्तीर्ण है किन्तु आगामी अधिसत्र में चार से अधिक प्रश्न–पत्र में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित है, ऐसी दशा में उन्हें ईयर बैक की श्रेणी के अन्तर्गत उत्तीर्ण किये गये विषम अधिसत्र में पुनः पंजीकरण के स्थान पर अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित संगत अधिसत्र के विद्यार्थियों का पुनः पंजीकरण ईयर बैक की श्रेणी के अन्तर्गत तत्समयावधि में संचालित संबंधित संगत अधिसत्र में ही

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें आगामी अधिसत्रों में अधिकतम प्रश्न–पत्रों की संख्या ही 04 से कम है तथा संबंधित छात्र ऐसे अधिसत्रों में समस्त प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होते हैं तो उपरोक्त बिन्दु संख्या–01 की भॉति ईयर बैक की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति नियमानुसार पूर्ण है तथा जिन्होंने सम्बन्धित अधिसत्र की समस्त आंतरिक परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है, किन्तु किसी आकस्मिक चिकित्सीय कारणों (स्वयं के हास्पिटलाइज होने की दशा में) से सम्बन्धित अधिसत्र की परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ईयर बैक से छूट इस शर्त पर प्रदान की जायेगी, कि सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ समस्त चिकित्सीय प्रमाण–पत्र संलग्न कर सम्बन्धित विभाग में प्रस्तुत करने होंगे, जिस पर विभागीय स्तर से विद्यार्थी के प्रकरण को विद्यार्थी की उपस्थिति एवं समस्त आंतरिक परीक्षाओं में प्रतिभाग करने सम्बन्धी विवरण के साथ पत्रावली के माध्यम से विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता की स्पष्ट संस्तुति पर परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करते हुए बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/13	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु–** **निर्णयः–** परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार बिन्दुओं पर भी निर्णय/अनुमोदन प्रदान किया गया :– (1) विश्वविद्यालय में अधिसत्र परीक्षाओं के सैद्धांतिक (थ्योरी) पेपर में किसी भी विद्यार्थी को 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान करने पर सम्बन्धित शिक्षक द्वारा यथोचित कारण/टिप्पणी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। (2) विश्वविद्यालय में आगामी सम/अन्तिम अधिसत्र की आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षाओं के समय शिक्षकों के समस्त अवकाश की स्वीकृति हेतु पत्रावलियाँ परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के माध्यम से स्थापना अनुभाग द्वारा मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। (3) विश्वविद्यालय के डी0जी0 लॉकर में आगामी दीक्षांत समारोह से सम्बन्धित समस्त उपाधियाँ दीक्षांत समारोह आयोजित किये जाने वाले दिवस को ही डी0जी0 लॉकर में अपडेट किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया। (4) पी–एच0डी0 मौखिकी परीक्षा का आयोजन कोविड–19 के दृष्टिगत् ऑन–लाइन मोड पर अनिवार्यतः कराये जाने तथा तदनुसार विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति को भी अवगत कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु न होने के कारण उपरोक्तानुसार बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

....

(डॉ0 अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ